

राज्य आयुक्त और निःशक्तलता कार्यालय को प्राप्त होने वाले परिवाद पत्रों पर कारवाई से सम्बन्धित

Flow Chart

शिकायत पत्र प्राप्त होने का झोपत

1. परिवादी द्वारा कार्यालय को हस्तगत के माध्यम से परिवाद पत्र प्राप्त।
2. परिवादी द्वारा कार्यालय को डाक के माध्यम से परिवाद पत्र प्राप्त।
3. परिवादी द्वारा ई-मेल माध्यम से परिवाद पत्र प्राप्त।

प्राप्त परिवाद पत्र का कार्यालय द्वारा मुख्योत्तया तीन बिंदुओं पर जॉच

